2/7/24

पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अवगत करा कर निवेदन किया कि वादी खेमा पिता चतरा डांगी की मृत्यु हो जाने से ~~[illegible]~~ विरासत से वारिसानों के नाम आने से वारिसानों द्वारा उक्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 उदयलाल

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में अंकन हो चुका है। उक्त पत्रावली में वादी द्वारा वारिसानों द्वारा भूमि का बेचान करने, प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम नहीं चलाने के कारण उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मनन किया। न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड के वर्तमान जमाबंदी का भी अध्ययन किया। वादी व उनके वारिसानों के नाम वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं होने से वर्तमान में खातेदार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम नहीं चलाना चाहते है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कमरे प्रतिवादी अपना अलग [illegible] का वाद लाने हेतू स्वतंत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

12/3/24

Scanned with OKEN Scanner